मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 436/2013 वाद

श्रीमती जुलेखा पत्नी सईदुर्रहमान मुसलमान, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. वहीदुर्रहमान पिता हबीबुर्रहमान, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

प्रकरण में दिनांक 15.12.2014 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। अधिवक्ता वादीया ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दावे में से बंटवारे की दाद को विलोपित करते हुए घोषणा अनुसार ही वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2014 में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से को वर्णित किया जा चुका है। अतः उसी अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा धीनवा की आराजी नं. 108 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि में वादीया श्रीमती जुलेखा पत्नी सईदुर्रहमान के नाम 2/5 अर्थात 0.5040 हैक्टेयर तथा विपक्षी संख्या 1 वहीदुर्रहमान पिता हबीबुर्रहमान के नाम 3/5 अर्थात 0.7560 हैक्टेयर भूमि घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आज दिनांक 03.02.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested